न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 2125–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–2014 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर, पृष्ठांकन कमांक 5(1)2014–15/1971.

.....

ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा0 लि0
रायरू, जिला ग्वालियर ..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा आबकारी आयुक्त, ग्वालियर ..... प्रत्यर्थी

.....

श्री यश भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/10/15 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 62(2)–सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2011–12 में अपीलार्थी इकाई को मुरैना, भिण्ड, श्योपुर, दतिया, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, रतलाम, जबलपुर एवं कटनी प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा की बॉटलिंग कर कांच एवं पैट में देशी मदिरा का प्रदाय करने की अनुमति दी गई थी । जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर बोतल बंद मदिरा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अपीलार्थी इकाई द्वारा की जा रही अनियमितताओं का उल्लेख किया गया । आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई को सुनकर दिनांक 13–6–2014 को आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थी इकाई पर,

50,000/– की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा ही जांच उपरांत ही देशी मदिरा प्रदाय की जाती है, और उन्हीं के द्वारा बोतल बंद मदिरा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अनियमितायें बताई जा रहीं है, जो अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि जब तक बोतल पर होलोग्राम नहीं होगा, तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जा सकता है । अंत में कहा गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा देशी मदिरा प्रदाय करने में किसी प्रकार की काई अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये आबकारी आयुक्त द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर, अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अपीलार्थी इकाई द्वारा देशी मदिरा प्रदाय में अनियमिततायें की गई है, इसलिये आबकारी आयुक्त द्वारा अधिरोपित शास्ति विधिसंगत है । उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नई आबकारी नीति के अंतर्गत बोतलों में वर्जिन मटेरियल का प्रयोग करना, बोतलों की सीलिंग सही तरीके से करना, बोतलों पर व्यवस्थित तरीके से लेबल चस्पा करना, मदिरा प्रदाय के लिये प्रयुक्त कोरोगेटेड बॉक्स में मजबूत तीन प्लाई का उपयोग करना आवश्यक था, परंतु अपीलार्थी इकाई द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है । अपीलार्थी इकाई द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि भविष्य में मदिरा प्रदाय की व्यवस्था और अधिक सुदृण की जाकर शिकायत का मौका नहीं दिया जायेगा । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । अपीलार्थी की उपरोक्त स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में

अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर